इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

### ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 जनवरी 2014—माघ 9, शक 1935

#### संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्रमांक 122/एफ(1)35/08/तीन/अड़तालीस. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

#### <u>नियम</u>

- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम**. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 2014 है।
  - (2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
  - (क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है अनुसूची—एक के कॉलम (6) में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी ;
  - (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति ;
  - (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन चयन के लिए संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा ;
  - (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार ;
  - (ड.) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल ;

- (च) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना कमांक एफ—8—5—पच्चीस—4—84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;
- (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
- (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत हैं, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो ;
- (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो ;
- (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य संसदीय कार्य विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा ;

(ट) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

- 3. विस्तार तथा लागू होना. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. **सेवा का गठन**. सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
  - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों
  - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि**. — सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या, अनुसूची—एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सिम्मिलित पदों की संख्या में, स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

- 6. भर्ती का तरीका. (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
  - (क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार द्वारा ;
  - (ख) अनुसूची— चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नित द्वारा ;
  - (ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो सेवा में ऐसे पदों को मूलतः या स्थानापन्न रूप में धारण करते हैं, जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालाविध के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमित से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जैसा कि इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किया जाए।

- 7. सेवा में नियुक्ति. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 मे विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएंगी अन्यथा नहीं।
- 8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्ते**. प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते अवश्य ही पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—
- (1) आयु. –(क) उसने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को. अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, और उक्त अनूसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की हो।
  - (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (ग) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
  - (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी:—
    - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए
    - (दो) ऐसा अभ्यर्थी जो, अस्थायी शासकीय सेवक हो, तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकरिमकता निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुझेय होगी;
    - (तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण — पद "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोज़गार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया है।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण — "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था और जिसकी किसी भी रोज़गार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था:—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ;
- (2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नियुक्त किया गया हो ;
  - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण होने पर ;
  - (ख) नियुक्ति संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त किया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के मृतपूर्व कार्मिक ;
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं), जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों ;
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो ;
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहे ;
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव आदि हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) उन अभ्यर्थियों के लिए, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;
- (छ) अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति / पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी :

- (ज) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ;
- (ञ) नगर सेवा (होमगार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नॉन—कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालाविध के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल होगी, किन्तु किसी भी दशा में, उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ट) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी:
- टिप्पणी (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा में प्रवेश दिया गया हो, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा से पहले या उसके बाद सेवा से त्याग—पत्र दे देते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे। किसी अन्य दशा में यह आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी।

(2) विमागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

- (3) प्रत्येक प्रवर्ग के लिए शिथिल की गई कुल कालावधि, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा की संगणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी—3—11/12/1/3, दिनांक 3 नवम्बर, 2012 तथा दिनांक 20 नवम्बर, 2012 के अनुसार होगी।
- (2) **शैक्षणिक अर्हताएं**. अभ्यर्थी के पास, अनुसूची—तीन में सेवा के लिए विहित यथाविनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए।
- (3) फीस. अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी / व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।
- 9. निरर्हता. (1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा, साक्षात्कार या चयन में उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
  - (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  - (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई अभ्यर्थी जो महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

- 10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा किसी अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया हो, परीक्षा / साक्षात्कार में उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- 11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती. (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय—समय पर, अवधारित करें।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / साक्षात्कार ऐसे आदेशों के अनुसार सचालित की जाएगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, समय–समय पर, जारी किए जाएं।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों को, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी कम में किया जाएगा, जिस कम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रेंक कुछ भी क्यों न हो।
- (5) यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सकें तो ऐसी रिक्तियां अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी तथा वे पद अग्रनीत किए जाएंगे, और उनकी पूर्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की कुल संख्या (अग्रनीत करते हुए) विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

- (7) ''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (8) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशानुसार श्रवण, दृष्टि एवं अस्थि बाधित अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- (10) निःशक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समस्तर (Horizontal) और प्रभागवार (Compartment-wise) होगी।
- 12. चयन सिमित द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची. (1) चयन सिमित, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन सिमित अवधारित करे और ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन सिमित द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हैं, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सिम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझें, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) चयन सूची, उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
- 13 पदोन्नित द्वारा नियुक्ति. (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची—चार में यथाउल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी :

परन्तु यदि पदोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नित सिमिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नित सिमिति में सिम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नित सिमिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, किन्तु सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक में होगी।

- (3) अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथा—विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार तथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय—समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन. नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नित आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम तथा नियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।
- 14. पदोन्नित के लिए पात्रता की शर्ते (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सिनित, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नित की जाना है, या सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए, किसी अन्य पद या पदों पर उतने अन्यून वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नित के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति.— संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नित समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालाविध की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आता है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से विचार नहीं किया जाएगा।

- (2) सेवा के समस्त पदों पर पदोन्नित ''वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता'' के आधार पर होगी। पदोन्नित के लिए विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।
- 15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना. (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों। यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति / पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी पूर्वोक्त कालाविध के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।
- (2) प्रत्येक चयन सूची के तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा—विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण. — ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सिम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

- (3) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।
- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।
- 16. चयन सूची.— (1) नियुक्ति प्राधिकारी, सिमति द्वारा तैयार की गई सूची पर सिमति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, विचार करेगा और जब तक कि कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझें तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपान्तरणों के साथ, यदि कोई हों, जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिए चयन सूची होगी।
- (4) चयन सूची जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किए गए किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

- 17. चयन सूची में से सेवा में नियुक्ति.— (1) चयन सूची में सिमिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्तियां उसी कम में की जाएंगी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में आए हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अविध में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य हो गया हो।
- 18. परिवीक्षा. सेवा में के किसी संवर्ग में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालाविध के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
- 19. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- 20. शिथिलीकरण— इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हों, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

- 21. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंधित किए जाने वाले आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
- 22. निरसन. इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त, समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी भी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. सी. मोटवानी, अपर सचिव.

अनुसूची-एक (नियम 5 देखिए)

#### वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सिम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दफ्तरी	2	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+ग्रेड पे 1400+ 50 वि. वे.	प्रमुख सिवव / सिवव, मध्यप्रदेश सरकार, संसदीय कार्य विभाग
2.	जमादार	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+ग्रेड पे 1400	— तदैव —
3.	भृत्य	4	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440ग्रेड पे 1300	— तदैव —
4.	भृत्य—सह—फर्राश	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440ग्रेड पे 1300	— तदैव <b>—</b>
5.	फर्राश	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+ग्रेड पे 1300	— तदैव —

### **अनुसूची—दो** (नियम 6(2) देखिए)

#### मर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		
	पदों का नाम	सीधी मर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के
		(नियम 6(1)(क)	पदोन्नति द्वारा	स्थानांतरण द्वारा
		देखिए)	(नियम 6(1)(ख) देखिए)	(नियम 6(1)(ग) देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दफ्तरी		१०० प्रतिशत	यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध
				नहीं होता है तो ऐसी दशा में
	e e			पद किसी अन्य सेवा या पद
				से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा
				सकेगा।
2.	जमादार		100 प्रतिशत	–तदैव–
3.	भृत्य	१०० प्रतिशत		
4.	भृत्य–सह–फर्राश	100 प्रतिशत		
5.	फर्राश	100 प्रतिशत		

#### अनुसूची-तीन [नियम 8(1) तथा (2) देखिए]

#### आवश्यक अर्हता तथा सामान्य आयु सीमा

अनुकमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2	भृत्य-सह-फर्राश	18 वर्ष	40 वर्ष	-तदैव-
3	फर्राश	18 वर्ष	40 वर्ष	–तदैव–

#### अनुसूची-चार (नियम 13 तथा 14 देखिए)

#### पदोन्नित के लिए पात्रता की शर्तें

अनुकमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (2) में दर्शाए गए पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुमव	विमागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भृत्य	दफ्तरी / जमादार	5 वर्ष	<ol> <li>अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग — अध्यक्ष.</li> <li>उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग — सदस्य</li> <li>अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग (स्थापना)— सदस्य</li> <li>अनुसूचित जाति, — सदस्य अनुसूचित जनजाति से नामनिर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी</li> </ol>
2.	भृत्य—सह—फर्राश	जमादार / दफ्तरी	5 वर्ष	-तदेव
3.	फर्राश	जमादार / दफ्तरी	5 वर्ष	–तदैव–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एल. सी. मोटवानी, अपर सचिव.

#### भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. 123/एफ(1)35/08/तीन/अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 122-एफ(1)35-08-तीन-अड़तालीस, दिनांक 29 जनवरी 2014 द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. सी. मोटवानी, अपर सचिव.

#### Bhopal, the 29th January 2014

#### **RULES**

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Parliamentary Affairs Department Class IV Service Rules, 2014
- (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".
  - 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
    - (a) "Appointing Authority" means the authority as specified in column (6) of Schedule-I in respect of the service;
    - (b) "Committee" means the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-iV,
    - (c) "Examination" means the competitive examination conducted for selection under rule 11;
    - (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
    - (e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
    - (f) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
    - (g) "Schedule" means schedule appended to these rules;
    - (h) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
    - (i) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
    - (j) "Service" means the Madhya Pradesh Parliamentary Affairs Department Class IV Service;
    - (k) "State" means the State of Madhya Pradesh.

- 3. Scope and application. Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.
- 4. Constitution of service. The service shall consist of he following persons, namely.
  - (1) persons, who at the commencement of these rules, are holding substantively or in an officiating capacity, the posts specified in the Schedule-I.
  - (2) persons recruired to the service before the commencement of these rules; and
  - (3) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Classification, pay scale etc.- The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may from time to time add or reduce the number of posts included in the service, either on permanent or temporary basis.

- 6 Method of recruitment. (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
  - (a) by direct recruitment, by competitive examination/interview;
  - (b) by promotion of members of service as specified in Schedule IV;
  - (c) by transfer or deputation of persons who hold in a substantive or officiating capacity in such posts in service as may be specified in this behalf by the State Government.
- (2) The number of persons recruited under, clause (b) or clause (c) of subrule (1) shall riot, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may with the prior concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

- 7. Appointment to the service.- All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.
- 8. Conditions of eligibility for direct recruitment In order to be eligible for competitive examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:
  - (1) Age. (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next, following the date of commencement of examination.
    - (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years in case of candidates belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
    - (c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum 5 years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates.
    - (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates who are or have been the employees of the Madhya Pradesh Government to the extend and subject to the conditions specified below:-
      - (i) A candidate, who is a permanent Government servant should not be more than 45 years of age;
      - (ii) A candidate, who is a temporary Government servant and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees.
      - (iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
      - Explanation.- the term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of the State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who are discharged because of reducton in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (e) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
- Explanation.- the term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment riot more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service:-
  - (1) Ex-serviceman released under mustering out concession;
  - (2) Ex-serviceman appointed for the second time and discharged on:-
    - (a) completion of short term engagement;
    - (b) fulfilling the conditions of appointment;
  - (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit:
  - (4) Officers (Military and Civi!) discharged on completion of their contract (including short service regular commission officers);
  - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies:
  - (6) Ex-serviceman invalidated out of service;
  - (7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
  - (8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.
  - (f) The general upper age limit shall be relaxable upto a maximum two years for those candidates who are holding green cards under the ramily welfare programme;
  - (g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter Caste Marriage Incentive programme;
  - (h) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates;
  - (i) The upper age limit shall be relaxable up to 45 years in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards;
  - (j) The general upper age limit shall be relaxed in case of voluntary.

    Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the

- period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 45 years.
- the upper age limit shall be relaxable upto a maximum of ten years to a women candidate in accordance with the provision of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of Women) Rules, 1997.
- Note.- (1) Candidates, who are admitted to the examination under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) of sub-rule (1) of rule 8 above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case these age limits be relaxed.
- (2) Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination.
- (3) The total relaxed period for every category shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum limit of age shall be calculated in accordance with the General Administration Department circular No.C-3-11/12/1/3 dated 03-11-2012 and 20-11-2012.
- (2) Educational qualifications.- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule-III.
- (3) Fees.- The candidate shall have to pay the fees prescribed by the Appointing Authority/Professional Examination Board.
- 9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination, interview or selection.
- (2) A candidate shall not be eligible for any service or post, who has married before attaining the age prescribed for marriage.
- (3) A candidate shall not be eligible for any service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has been convicted of an offence against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal case.

- 10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final. The decision of the Appointing Authority as to the eligibility of a candidate for examination shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/interview.
- 11. Direct recruitment by competitive examination.- (1) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine from time to time.
- (2) The examination/interview shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders as issued by the State Government from time to time in this behalf.
- (3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jaliyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhde Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.
- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the select list referred to in rule 12, irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.
- (5) If the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates remain untilled due to non-availability of the candidates belonging to these classes, then such vacancies can not be filled up by the candidates of other classes and shall be carried torward and fulfilled according to the directions issued by General Administration Department from time to time:

Provided that at any time the total number of the seats reserved for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the carried forward vacancies) shall not be in excess of fifty percent of the total vacancies advertised.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

- (7) There shall be reserved post for women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (8) There shall be reserved posts for hearing, visually and orthopedically impaired candidates in accordance with the direction of General Administration Department.
- (9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after the consultation with General Administration Department.
- (10) There shall be horizontal and compartment-wise reservation for disabled persons.
- 12. List of candidates recommended by the Selection Committee.

  (1) The selection committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the selection committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.
- 13. Appointment by promotion (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members as mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated members other than the member presiding the departmental promotion committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion committee and the number of members of promotion committee shall be extended to that limit.

- (2) The departmental promotion committee shall meet at such intervals as directed by Appointing Authority but ordinarily not exceeding one year.
- (3) For promotion of members of the service to the posts specified in Schedule-IV, the eligibility to candidate, selection procedure and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and instructions issued by General Administration Department from time to time.
- (4) Certification by Appointing Authority.- Appointing Authority shall on every promotion order issued by him, shall make endorsement to the effect that he has complied with the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhde Vergon Ke Liye Arkshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued keeping in view the provisions of the said Act and Rules made by the State Government and he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.
- 14. Conditions of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons, who on first day of January of that year had completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantively) on the posts from which the promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule(2).

Explanation.— manner of computation for eligibility for promotion.—Period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

- (2) The promotion to all the posts in the service shall be on the basis of "Seniority subject to fitness". For the zone of consideration for promotion, the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002, shall apply.
- 15. Preparation of the list of suitable candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the

conditions prescribed in rule 14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement/ promotion during the course of one year starting from the date of preparation of select list. A reserve list of 25% of the member of persons included in the said list shall be prepared in order to fulfill unforeseen vacancies occurring during aforesaid period.

(2) The name of the persons included in the list shall be arranged in order to seniority in the service or posts as specified in column (2) of Scheduled-IV, at the time of preparation of each select list.

**Explanation.-** A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those person considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (3) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.
- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- 16. Select list.- (1) The Appointing Authority shall consider the list prepared by the Committee along with the other documents received from the Committee and unless it considers any change to be necessary, approve the list.
- (2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, he shall inform the Committee of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Committee, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.
- (3) The list as finally approved by the Appointing Authority will be the select list for promotion of the members of the service from the posts specified in column (2) of Schedule-IV to the posts specified in column (3) of the said Schedule.
- (4) The Select list shall ordinarily be remain in force for a period of one year, until it is reviewed or revised according to sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment in service from the Select list.- (1) Appointment of the persons included in the select list to the post born on the cadre of the service

shall follow in the order in which the name of such candidates appear in the select list.

- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.
- 18. **Probation.-** Every person directly recruited to any cadre of the service shall be appointed on probation for a period of two years.
- 19. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.
- 20. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

- Saving. Nothing contained in these rules, shall effect the reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.
- 22. Repeal.- All rules corresponding to these rules and enforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matter covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,, L. C. MOTWANI, Addl. Secy.

## SCHEDULE-I (See rule 5)

### Classification, Scale of Pay and number of posts included in the service

S. No.	Name of posts included in the service	No. of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daftary	2	Class IV	4440-7440+ 1400 GP+ 50 Spl. Pay	Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh, Parliamentary Affairs Department
2	Jamadaar	1	-do-	4440-7440+ 1400 GP	-do-
3	Peon	4	-do-	4440-7440+ 1300 GP	-do-
4	Peon-cum- Sweeper	1	-do-	4440-7440+ 1300 GP	-do-
5	Sweeper	1	-do-	4440-7440+ 1300 GP	-do-

# SCHEDULE-II [See rule 6(2)]

#### Method of recruitment

S.	Name of posts	٩	ercentage of posts	to be filled up
No.	included in the service	By direct recruitment	By promotion of members of	By transfer of persons from other service [see
		[see rule 6(1)(a)]	service [see rule 6(1)(b)]	rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Daftary	<del>-</del>	100%	In case, if suitable person is not available then the post may be filled up by deputation from other service or post.
2	Jamadaar	**	100%	-do-
3	Peon	100%	_	-
.4	Peon-cum- Sweeper	100%		-
5	Sweeper	100%		-

# SCHEDULE-III [See rule 8(1) and (2)]

### Essential Educational Qualification and General Age Limit

S.No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peon	18 years	40 years	Must have passed 8th class examination from any school recognized by the State Government
2	Peon-cum-Sweeper	18 years	40 years	-do-
3	Sweeper	18 years	40 years	-do-

## SCHEDULE-IV [See rule 13 and 14]

#### Conditions of eligibility for promotion

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum experience for promotion on the post shown in column (2)	Departmental Promotions Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peon	Daftari/ Jamadar	5 years	1. Additional Secretary, Parliamentary Affairs Department-Chairman 2. Deputy Secretary, Parliamentary Affairs Department-Member 3. Under Secretary (Establishment), Parliamentary Affairs Department-Member 4. Nominated Gazetted officer from Scheduled Castes, Scheduled Tribes - Member
' 2	Peon-cum-	Daftari/	5 years	-do-
<del></del>	Sweeper	Jamadar D. (L. L. L	ļ <u>.</u>	
3	Sweeper	Daftarı/ Jamadar	5 years	-dc-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

L. C. MOTWANI, Addl. Secy.